राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**भौरीलाल बनाम बिरधा** 1182/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो।	
27/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2025 पारित करते हुये तहसीलदार कोटखावदा को विवादित आराजीयात में खाता संख्या नया 105 पुराना 106 में खसरा नम्बर 1531, 1531/1916, 1532 लगायत 1539, 1577 लगायत 1599 कुल किता 33 कुल रकबा 8.98 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ़मुरलीपुरा, पटवार हल्का बाढ़मुरलीपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर पर तहसील कोटखावदा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रतिवादीगणों को लिखित सूचना देते हुये विवादित आराजीयात का मौका निरिक्षण कर विभाजन प्रस्ताव मुताबिक नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03/07/2005 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द करते हुये पक्षकारान की सुनवाई किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित प्रतीत होता है। कानूनन पक्षकारान की सुनवाई कर ही निर्णय पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त योग्य जाहिर होती है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भौरीलाल बनाम बिरधा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है कि वे अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवेचनात्मक एवं विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	